न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –38/2023 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2023/150

अमित झिन्नीवाल आत्मज धनराज जाति धोबी निवासी पीपल के पेड के पीछे खण्ड गांवडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज रामप्रसाद बालिग जाति रावल निवासी ग्राम जालखेडा कैथून रोड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 23.5.2023 प्र0सं0 24/2022 उनवान अमित झिन्नीवाल बनाम मांगीलाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 10.12.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी अधिकारी भू–अभि0 अनुभाग कोटा के पत्रांक/भू–अभि0/निरी/2022/452 दिनांक 28.7.2022 अनुसार अमित झिन्नीवाल पुत्र धनराज जाति धोबी निवासी खण्ड गांवडी तह0 लाडपुरा क खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 61 रकबा 0.04 हे0, एवं खसरा नं0 252 रकबा 0.42 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.46 हे0 वाके ग्राम जालखेडा पटवार हल्का खेडा रसूलपुर पर भू–माफियाओं के कब्जे होने संबंधी शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर दिनांक 23.05.2023 को आदेश पारित किया है कि–"चूंकि अप्रार्थी की ओर से बिरधा द्वारा सूरजमल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1974 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.01.1985 व इकरारनामा दिनांक 8.2.2007 की वसीयत दिनांक 13.11.2017 प्रस्तुत कर स्वयं को सूरजमल व रामसहाय के फुटस्टेप पर काबिज काश्त होना बताया है, चूंकि बिरधा के वारिसान धन्नीबाई, रामकुंवार, छोटूलाल द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बेदखली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा 18.01.1985 खारिज किया जा चुका है जिसके कारण उनके अंतरिति प्रार्थी को पुनः धारा 183–बी राजस्थन काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है ।"
2. उक्त निर्णय दिनांक 23.05.2023 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट अमित झिन्नीवाल द्वारा यह अपील दिनांक 18.07.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अपीलान्ट के खाते की कृषि आराजी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 61 की 0.04 हे0, खसरा नं0 252 की रकबा 0.42 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.46 हे0 है, उपरोक्त आराजीयात को अपीलान्ट ने दिनांक 22.9.2015 को जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी, खरीद के बाद से अपीलान्ट उपरोक्त आराजीयात का खातेदार कृषक चला आ रहा है । अनुलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है । रेस्पो0 नं0 1 मांगीलाल अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है तथा मांगीलाल ने अपीलान्ट की आराजीयात पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखाथा इसलिए अपीलान्ट ने 183 बी काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश किया था जो तहसीलदार लाडपुरा को सुनवाई हेतु प्रेषित किया जिस पर

जिला कलेक्टर
कोटा

तहसीलदार लाडपुरा ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पो0 की तलबी की गई मौका रिपोर्ट प्राप्त कर दस्तावेजी साक्ष्य ली जाकर न्यायालय ने आनन फानन में निर्णय दिनांक 23.5.2023 जब राज्य कर्मचारियों की हडताल चल रही थी मामले को यह कहते हुए कि उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व मे भी तहसीलदार लाडपुरा के यहां बेदखली का वाद चला था तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने उपरोक्त प्रकरण में अपील स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया तथा यह भी आलेखित किया कि एक मर्तबा जब आदेश पारित हो चुका होता है तो दुबारा अपीलान्ट को आवेदन पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उपरोक्त प्रकरण मियाद बाहर बताते हुए निर्णय दिनांक 23.5.2023 पारित किया है जो न्याय संगत नहीं है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सुनवाई का अवसर दिया ना ही रेस्पोउेन्ट नं0 1 की साक्ष्यों से जिरह का अवसर दिया और ना ही कहीं जिरह बंद की गयी ना ही अपीलान्ट को कोई कोई रेस्पो0 नं0 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ पत्र अथवा दस्तावेज की प्रति दिलवायी गयी तथा आनन फानन में कर्मचारियों की हडताल के समय मात्र रेस्पो0 नं0 1 को लाभ पहुंचाने की गरज से उपरोक्त निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह मनन नहीं किया कि अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है आराजीयात पर अन्य जाति के व्यक्ति के द्वारा कब्जा किए जाने की सूरत में बेदखल किया जाना आवश्यक है तथा प्रकरण में यह स्पष्ट हो गया था कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है उसके द्वारा नाजायज रूप से संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो ऐसे में उसे बेदखल करना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर ना कर भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित इकरारनामा दिनांक 8.2.2007 जो कि एक अपंजीकृत दस्तावेज है उसको आधार बनाकर सूरजमल के द्वारा उपरोक्त संपत्ति पर काबिज माना तथा अधीनसथ न्यायालय ने पूर्व में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में उपरोक्त आवेदन को मियाद बाहर मानते हुए यह निर्देश दिए कि 183–बी का आवेदन एक बार ही ला सकता है जबकि 183 बी का आवेदन कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने पर ला सकता है तथा अपीलान्ट जब वर्ष 2015 में उपरोक्त संपत्ति का खातेदार बना तो ऐसे में उसे 183 बी के आवेदन लाने में कोई मियाद का बिन्दु बाधित नहीं करता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर ना कर भारी त्रुटि की है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित नहीं किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 23.5.2023 निर्णय पारित किया है जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को नहीं दी गयी इसके लिए एक आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश किया तब जानकारी में आया कि तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने दिनांक 23.5.2023 को निर्णय पारित कर दिया है । उपरोक्त कृषि आराजीयात के खातेदार अपीलान्ट है और उसे नियमानुसार 183 बी के आवेदन के तहत आवेदन पेश कर कब्जाधारी को बेदखल करवाए जाने का अधिकार प्राप्त है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन को अवधि बाधित मानते हुए खारिज कर भारी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.5.2023 नॉन स्पीकिंग आदेश है जिसे प्रभावी नहीं रखा जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.5.2023 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 नं0 1 को अपीलान्ट की कृषि आराजीयात जिसका विवरण अपील के चरण नं0 2 में दिया गया है उससे बेदखल किया जाकर कब्जा अपीलान्ट को दिलाए जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी में आदेश दिनांक 23.05.2023 से खारिज किया जाने से

जिला कलेक्टर
कोटा

दिनांक 18.07.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है, जो मियाद अवधि 30 दिवस के बाद प्रस्तुत की गई, किन्तु अपील में गुणावगुण का बिन्दु होने से लिमिटेशन की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. प्रस्तुत अपील में वकील अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने दिनांक 22.9.2015 को जरिए विक्रय पत्र खरीद की थी, अपीलांट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट अन्य जाति के व्यक्ति होकर अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है , उसके द्वारा नाजायज रूप से संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, अधीनस्थ न्यायालय में 183–बी के प्रार्थना पत्र पर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किये है कि बिरधा द्वारा सूरजमल के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.5.1974 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.01.1985 व इकरारनामा दिनांक 8.2.2007 की वसीयत दिनांक 13.11.2019 प्रस्तुत कर स्वयं को सूरजमल व रामसहाय के फुटस्टेप पर काबिज काश्त होना बताया है चूंकि बिरधा के वारिसान धन्नीबाई, रामकुंवार छोटेलाल द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बेदखली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा 18.01.1985 से खारिज किया जा चुका है, तथा अंतरिति प्रार्थी को पुनः धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है । यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पूर्व खातेदार बिरधा जाति मेघवंशी अनुसूचित जाति का सदस्य द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रदिनांक 21.5.1974 से सूरजमल जाति धाकड निवासी जालखेडा सवर्ण का सदस्य के पक्ष में निष्पादन करना बताया है जिसमें धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है, अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि सवर्ण के नाम नहीं हो सकती है किन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 18.01.1985 से बिरधा के वारिसान धन्नी वगै0 द्वारा धारा 183 बी के तहत सूरजमल के विरूद्व बेदखली हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त भूमि पर सूरजमल का 12 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त होने से व धारा 183 बी के तहत सूरजमल को बेदखल किये जाने की मियाद निकल चुकी है, किन्तु वर्तमान में वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है तथा जिस पर सूरजमल का कब्जा नहीं होकर मांगीलाल आत्मज रामप्रसाद जाति रावल का कब्जा होना पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 से जाहिर हो रहा है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आदेशिका दिनांक 21.2.2023, 15.3.2023 एवं 23.5.2023 अनुसार प्रार्थी अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया और ना ही उभयपक्षकारान की बहस सुनने का उल्लेख किया है, केवल राजस्व अपील प्राधिकारी के पूर्व निर्णय दिनांक 18.01.1985 को आधार मानते हुए प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानते हुए खारिज करने में कानूनी भूल की है । ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया जाकर हम यह मानते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार आवश्यक है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया जाने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.5.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा